सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2008 / 101 दर्ज दिनांक : 18.09.2008

1. जगदीश प्रसाद दतक पुत्र स्व. आशाराम जाति माली निवासी बार्ड नं. 27, चूरू तहसील व जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी नोरतमल जाति प्रजापत निवासिनी वार्ड नं. 21, शि कॉलोनी, चूरू तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार, चूरू

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
श्री विजयसिंह, आनन्द बालाण वादी
श्री नरेन्द्र सिहाग प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188,209
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णय :—

दावा वादी निम्नलिखित आधार पर प्रस्तुत है—

1. यह कि वादी की एक कृषि भूमि खसरा नं. 1195 तादादी 3 बिघा 15 बिश्वा रोही मौजा चूरू में स्थित थी। उक्त कृषि भूमि में से वादी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांकित 09.06.1995 की आधा हिस्सा पूर्वी तरफ की भूमि 1 बीघा 18 बिस्वा श्री ज्वाला प्रसाद पुत्र सुगराराम जाति प्रजापत निवासी मलसीसर जिला झुन्झुनू को विक्रय कर दी थी एवं उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल श्री ज्वाला प्रसाद के नाम दर्ज होकर नये खसरा नं. 1837 / 1195 कायम कर दिये गये थे एवं ज्वाला प्रसाद ने उक्त 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 08 बिस्वा भूमि खादी ग्रामोद्योग विद्या मन्दिर, डाबला को विक्रय कर दी जिसके खसरा नं. 2015 / 1837 अलग से कायम कर दिये गये है। शेष बची हुई कृषि भूमि के अलग से खसरा नम्बर कायम कर दिये जो 2016 / 1837 तादादी 1 बीघा 09 बिस्वा का श्री ज्वाला प्रसाद के नाम खाता शेष रहा गया— जो श्री ज्वालाप्रसाद ने विक्रय पत्र दिनांकित 07.05.08 के जरिये श्रीमती सुमित्रा प्रतिवादिया संख्या 1 को विक्रय कर दी थी। उक्त दोनों खसरेजात की कुल कृषि भूमि 01 बीघा 17 बिस्वा होती है।
2. यह कि श्रीमती सुमित्रा प्रतिवादी संख्या 1 ने ज्वाला प्रसाद से 1 बीघा 09 बिस्वा भूमि खरीद करने के बाद वादी जगदीश प्रसाद की कृषि भूमि 1195 तादादी 01 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर जबरन कब्जा करने की नियत से ... लिये है और कृषि भूमि की किस्म को बिना अधिकार के परिवर्तित कर लिया है तथा जगदीश प्रसाद वादी के कब्जे काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर जबरन अपना कब्जा कायम करने का प्रयास कर रही है। जबकि वादी जगदीश प्रसाद अपनी भूमि का खातेदार, काश्तकार है उसी का मौके पर कब्जा, उपयोग व उपभोग अपने पिता के जीवन काल से ही चला आ रहा है।

3. यह कि वादी ने अपनी कृषि भूमि में से आधी पूर्व दिशा की कृषि भूमि तादादी 01 बीघा 17 बिस्वा का विक्रय ही श्री ज्वाला प्रसाद को किया था और मौके पर 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि का ही भौतिक रूप से कब्जा सौंपा था। वादी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है और एक दो महीने से अपनी जमीन को संभालने नहीं जा सका— इस स्थिति का फायदा उठाकर प्रतिवादिया संख्या 1 सुमित्रा ने जबरन वादी की जमीन पर सीमांकन करवाये बिना ही पहाड़ी पत्थर डालकर उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और मौके पर वादी के कब्जे व काश्त में दखलांदाजी कर रही है।

4. यह कि वादी दिनांक 12.09.08 को अपनी कृषि भूमि को संभालने के लिए मौके पर गया तथा तब उसे पता चला कि श्री ज्वाला प्रसाद ने वादी से खरीद की हुई भूमि मे से 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि श्रीमती सुमित्रा प्रतिवादिनी संख्या 1 को विक्रय कर दी है तथा उसने वादी के हिस्से की भूमि पर पहाड़ी पत्थर डालकर उसके स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है और मौके पर जबरन वादी के कब्जे को हटाकर अपना कब्जा कायम करने का प्रयास कर रही है।

5. यह कि वादी उसी दिन यानि दिनांक 12.09.08 को प्रतिवादिनी संख्या 1 के घर गया और उसे अपनी खातेदारी कब्जा व काश्त की कृषि भूमि पर से जबरन डाले पत्थर हटाने एवं उसके स्वरूप को बदलने हेतु मना किया मगर प्रतिवादिनी संख्या 1 सुमित्रा ने ऐसा करने से मना कर दिया जिससे वादी एवं प्रतिवादिनी संख्या 1 के मध्य वाद कारण उत्पन्न हो गया है और यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

6. यह कि वादी अपने खेत खसरा नं. 1838/1195 रोही मौजा चूरू तादादी 01 बिस्वा 18 बिस्वा का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और मौके पर वादी का उसके पिता के जीवनकाल से ही कब्जा व काश्त चली आ रही है। इसलिए वादी को यह दावा लाने का अधिकार प्राप्त है।

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 स्ंदक भ्वसकमत है इसलिए वह दावा का आवश्यक पक्षकार होने से दावा में बतौर प्रतिवादी संयोजित किया जा रहा है— उनके खिलाफ कोई अनुतोष वादी द्वारा नहीं चाहा गया है इसलिए धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये बिना ही यह दावा कानूनन चलने योग्य है और प्रस्तुत किया जा रहा है।

8. यह कि दावा वादी श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से अन्दरमियाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 1838/1195 तादादी 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर जबरन पहाड़ी पत्थर डालकर उसके स्वरूप के बदलने का प्रयास किया जा रहा है को तुरन्त प्रभाव से हटवाया जावे और उसकी कृषि भूमि के स्वरूप को पुनः कृषि भूमि के रूप में बहाल किया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा न किया जावे न किसी अन्य से करवाया जावे। जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग पर विपरीत असर पड़े— ऐसा कोई कार्य या उपकार्य स्वयं द्वारा या किसी अन्य के द्वारा न किया जावे। इस बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

(ग) यह कि दौराने विचारण दावा अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हक में व प्रतिवादी के खिलाफ प्रदान किया जाना उचित समझे तो वह भी प्रदान किया जावे।

(घ) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता धन्नाराम सैनी ने वकालतन नामा पेश कर जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है।

–जवाब दावा–

प्रतिवादिनी की ओर से जवाब दावा नीचे लिखे अनुसार पेश है :–

1. यहकि दावा की मद संख्या–1 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नही है अस्वीकार की जाती है । इस मद मे केवल मात्र खसरा नम्बर 1195 मे से 1 बीघा 17 विस्वा भूमि ज्वालाप्रसाद को विक्रय किये जाना स्वीकार है और उनके द्वारा खादी ग्रामोधोग एव प्रतिवादिनी को 1 बीघा 17 विस्वा भूमि विक्रय किया जाना स्वीकार है लेकिन इस मद मे दिनांक 09.06.1995 को 1 बीघा 17 विस्वा भूमि ही ज्वालाप्रसाद को विक्रय किया गई थी । इस मद मे कहीं पर ज्वालाप्रसाद को 1 बीघा 18 विस्वा भूमि विक्रय किया जाना अंकित किया गया है कही पर 1 बीघा 17 विस्वा भूमि विक्रय किया जाना अंकित किया गया है वास्तव मे 1 बीघा 17 विस्वा भूमि का ही विक्रय हुआ था । इससे स्पष्ट है कि वादी स्वयं ही अपने भूमि के संबंध मे स्पष्ट नही है । वह अपना कथन इस मद मे बदलता रहा है इस कारण उनका कथन अविश्वसनीय हो जाता है इस कारण दावा खारिज किये जाने योग्य है ।
2. यहकि दावा की मद संख्या–2 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नही है । अस्वीकार की जाती है । इस मद मे गलत अंकित किया गया है कि प्रतिवादिनी सुमित्रादेवी द्वारा 1 बीघा 9 विस्वा भूमि खरीद किये जाने के बाद वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1838 / 1195 तादादी 1 बीघा 18 विस्वा जमीन पर जबरन कब्जा करने की नियत से पहाड़ी पत्थर तुड़वाकर बिछवाया हो और इस मद मे यह भी गलत अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 1838 / 1195 की भूमि पर कृषि भूमि की किस्म को परिवर्तन कर लिया हो । इस मद मे यह भी गलत अंकित किया गया है कि ज्वालाप्रसाद वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर प्रतिवादिनी कब्जा करने का प्रयास कर रही हो जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि प्रतिवादिनी सुमित्रादेवी ने विधिवत तरीके से विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत ज्वालाप्रसाद से जरिये बैनामा दिनांक 09.05.2008 को उक्त भूमि खरीद करके उसका उप–पंजीयक कार्यालय से पंजीकरण करवाकर विधिवत तरीके से अपने नाम इन्तकाल करवाया है दिनांक 16.06.2008 को उक्त इन्तकाल तस्दीक हो चुका है । उक्त खरीद शुदा भूमि पर भूमि खरीदने की दिनांक से ही लगातार कब्जा काश्त प्रतिवादिनी का ही चला आ रहा है । वादी की भूमि जिसका खसरा नम्बर 1838 / 1195 पर प्रतिवादिनी ने किसी प्रकार के पहाड़ी पत्थर नही बिछाये है एवं न ही किसी प्रकार का कब्जा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है महज गलतफहमी वश वादी ने उक्त दावा श्रीमान्जी के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है । वादी द्वारा पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद को जिस समय भूमि विक्रय की थी उसी समय 1 बीघा 17 विस्वा भूमि पर ज्वालाप्रसाद को उसके स्वयं के द्वारा कब्जा मौका पर करवा दिया था और बिना किसी व्यवधान के ज्वालाप्रसाद का कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा था उस समय सीमाबंदी व हदबन्दी के लिये पट्टी रोपकर सीमांकन वादी द्वारा ही कायम करवा दिया था उक्त सीमांकन आज भी कायम चला आ रहा है । उक्त पट्टी के पास ही एक छोटा सा मन्दिर हनुमानजी का वादी द्वारा बनाया गया था वह भी कायम चला आ रहा है जब प्रतिवादिनी द्वारा उक्त भूमि खरीद की थी और पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद द्वारा प्रतिवादिनी का कब्जा मौके पर करवा दिया था उस वक्त वादी जगदीशप्रसाद स्वयं को बुलाया जाकर उसके सामने ही प्रतिवादिनी को ज्वालाप्रसाद द्वारा उक्त भूमि पर काबिज करवाया था उसी हद तक प्रतिवादिनी का कब्जा काश्त चला आ रहा है किसी प्रकार का व्यवधान नही रहा है । वादी द्वारा [illegible] से दावा पेश किया है जो सारहीन होने के कारण कत्तई चलने योग्य नही है ।
3. यहकि दावा की मद संख्या–3 [illegible] स्वीकार नही है अस्वीकार की जाती है । इस मद मे 1 बीघा 17 विस्वा भूमि [illegible] ज्वालाप्रसाद का भौतिक कब्जा करवाया जाना स्वीकार है लेकिन इस मद मे गलत अंकित किया गया है कि वादी एक–दो महिने से अपनी भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

संभालने नही जा सका और इस मद मे यह भी गलत अंकित किया गया है कि प्रतिवादिनी सुमित्रादेवी ने जबरन वादी की जमीन पर पहाड़ी पत्थर डालकर उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है मौके पर कब्जा व काश्त पर दखलदाजी कर रही है जबकि प्रतिवादिनी एक घरेलू औरत है उसके द्वारा मौके पर जाकर कब्जा पर दखलदांजी किया जाना अकल्पनीय है वास्तविक तथ्य यह है कि वादी अक्सर अपनी भूमि को संभालने के लिये आता–जाता है । प्रतिवादिनी द्वारा वादी की भूमि पर किसी प्रकार के पत्थर नही डलवाये है और न ही उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है । प्रतिवादिनी द्वारा मौके पर वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की दखलदाजी नही की जा रही है इस कारण दावा चलने काबिल नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

4. यहकि दावा की मद संख्या–4 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नही है । अस्वीकार की जाती है । इस मद मे गलत अंकित किया गया है कि दिनांक 12.09.2008 को वादी अपनी कृषि भूमि को संभालने के लिये मौके पर गया तब उसे पता चला कि ज्वालाप्रसाद ने प्रतिवादिनी को 1 बीघा 9 विस्वा भूमि विक्रय कर दी है । इस मद मे यह भी गलत अंकित किया गया है कि प्रतिवादिनी वादी के हिस्सा की भूमि पर पहाड़ी पत्थर डालकर उसका स्वरूप मे परिवर्तन कर दिया है और इस मद मे यह भी गलत अंकित किया गया है कि मौके पर जबरन वादी का कब्जा हटाकर प्रतिवादिनी अपना कब्जा कायम करने का प्रयास कर रही है और इस मद मे यह भी गलत अंकित किया गया है कि प्रतिवादिनी वादी की भी कृषि भूमि के स्वरूप मे परिवर्तन जबरन कर रही है । इस मद मे यह भी गलत अंकित किया गया है कि उक्त भूमि पर से पेड़ आदि काटकर मिट्टी हटाकर गड्ढे खोदकर उसकी कृषि योग्य स्वरूप को बदल रहे है जबकि वास्तवित तथ्य यह है कि वादी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1838 / 1195 पर प्रतिवादिनी द्वारा किसी प्रकार के पहाड़ी पत्थर नही डलवाये है न ही उसका स्वरूप मे परिवर्तन किया जा रहा है न ही प्रतिवादिनी द्वारा खसरा नम्बर 1838 / 1195 की भूमि पर से वादी का कब्जा हटाकर प्रतिवादिनी स्वयं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। खसरा नम्बर 1838 / 1195 की भूमि पर से किसी प्रकार के पेड़ प्रतिवादिनी ने नही कटवाये है नही मिट्टी हटवाई है न ही किसी प्रकार के गड्ढे खोदे है । वादी द्वारा महज गलतफहमी मे आशंका के आधार पर प्रतिवादिनी को तंग परेशान करने के लिये बिना किसी आधार के दावा पेश किया है इस कारण दावा चलने योग्य नही है।

5. यहकि दावा की मद संख्या–5 गलत अंकित किये जाने से अस्वीकार है। इस मद मे गलत अंकित किया गया है कि दिनांक 12.09.2008 को वादी प्रतिवादिनी संख्या–1 के घर गया हो और उसमे अपने खातेदारी कब्जा व कास्त की भूमि मे से पत्थर हटाने हेतु कहा हो और प्रतिवादिनी ने मना किया हो जबकि वास्तव मे वादी दिनांक 12.09.2008 को या अन्य किसी तिथि को प्रतिवादिनी के घर नही गया महज वाद हेतु क के तथ्य दावा मे अंकित करने के लिये इस प्रकार के तथ्य कल्पना के आधार पर अंकित किये गये है ।

6. यहकि दावा की मद संख्या–6 जिस प्रकार से अंकित की है स्वीकार नही है । अस्वीकार की जाती है। इस मद मे गलत अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 1838 / 1195 रोही मौजा चूरू तादादी 1 बीघा 18 विस्वा स्वर्गीय आशाराम के जीवनकाल से ही उनके उपयोग उपभोग मे चली आ रही है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि खसरा नम्बर 1838 / 1195 की भूमि के उतर की तरफ रेलवे लाईन है तथा दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 65 है । वादी को भी इस तथ्य का भलीभांति ज्ञान है । खसरा नम्बर 1838 / 1195 की भूमि रेलवे लाईन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर की भूमि मे टमेजमक (निहित) हो गई है। जिसका ज्ञान भी भलीभांति वादी को रहा है । उक्त स्थल पर खसरा नम्बर 183[illegible] [illegible] निकलने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के पश्चात किसी प्रकार से कास्त योग्य न[illegible] थी एवं न ही कभी उक्त स्थल पर कास्त होती है न ही किसी भी व्य[illegible] इस तथ्य को वादी द्वारा छिपाया गया है । खसरा नम्बर 1838 / 1195 मे [illegible] किसी प्रकार की कास्त नही की गई है । प्रतिवादिनी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार के पत्थर नही डलवाये है न ही किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्माण खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किया जा रहा है । उक्त भूमि रेलवे लाईन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मे कायम होने के पश्चात कृषि योग्य नही रही है और उक्त भूमि पर काबिज होने जैसी स्थिति भी कभी नही रही है न ही उसका उपयोग उपभोग हो रहा है। अप्रार्थिया द्वारा खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही किया जा रहा है।

7. यहकि दावा की मद संख्या—7 जिस प्रकार से अंकित की गई है स्वीकार नही है । अस्वीकार की जाती है । सरकार को 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये वगैरह यह दावा प्रस्तुत किया गया है इस कारण कानूनन दावा चलने काबिल नही है क्योकि धारा 80 सी.पी.सी. का सरकार को नोटिस दिया जाना मेन्डेटरी है । 80 सी.पी.सी. के नोटिस की अवधि व्यतीत किया जाना कानूनन आवश्यक है बिना नोटिस के यह दावा चलने योग्य नही है । इस कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

8. यहकि दावा की मद संख्या—8 गलत अंकित किये जाने से अस्वीकार है । यह दावा सभी दृष्टि से चलने योग्य नही है तथा मियाद बाहर पेश किया गया है दावा मे चाहा गया समस्त अनुतोष अस्वीकार किया जाता है क्योकि उक्त अनुतोष प्रदान किये जाने काबिल ही नही है।

विशेष कथन

9. यहकि खेत खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर प्रतिवादिनी द्वारा किसी प्रकार के पत्थर नही डलवाये है न ही अप्रार्थिया द्वारा किसी प्रकार का कब्जा किया जा रहा है एवं न ही स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है न ही वादी के कब्जा व कास्त पर किसी प्रकार की दखलदांजी की जा रही है । वादी द्वारा प्रतिवादिनी के विरुद्ध गलत रूप से महज कयास के आधार पर और संभावना के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है इस कारण दावा चलने काबिल नही हैं ।

10. यह कि प्रतिवादिनी को जब पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद द्वारा कब्जा उक्त भूमि का सौपा गया था उस दिन वादी स्वयं मौके पर मौजूद था उसके सामने ही कब्जा सौपा गया था उस दिन महेन्द्र पुत्र धन्नाराम, मजीद पुत्र फैजुखाँ भी मौजूद थे उनके सामने ही जगदीश स्वयं ने हदबन्दी व सीमांकन हेतु रोपी हुई पट्टी 1 बीघा 17 विस्वा की सीमा होना बताया था जो आज भी कायम चली आ रही है इस कारण उक्त दावा चलने काबिल नही होने के कारण खारिज योग्य है।

11. यहकि उक्त खसरा नम्बर 1838/1195 की तथाकथित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और जमीन के भाव बढ़ने के कारण वादी किसी अन्य व्यक्ति के बहकावे मे आने के कारण बनावटी आधार पर महज प्रतिवादिनी को तंग परेशान करने के लिये और प्रतिवादिनी से दावा की आड़ मे गलत रूप से राशि प्राप्त करने की नियत से दावा पेश किया है जो कतई चलने काबिल नही हैं ।

12. यहकि प्रतिवादिनी द्वारा खरीदशुदा कृषिभूमि के खसरा नम्बर 2016/1837 तादादी 1बीघा 9 विस्वा भूमि तथा खादी ग्रामोधोग विद्या मन्दिर की 8 विस्वा भूमि कुल 1 बीघा 17 विस्वा भूमि के अलावा अन्य किसी भी भूमि पर प्रतिवादिनी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा नही किया गया है न ही पत्थर आदि डलवाये गये है।

13. यहकि प्रतिवादिनी के खसरा नम्बर अलग है तथा वादी ने अलग खसरा भूमि का दावा किया है इस कारण उक्त दावा मे प्रतिवादिनी को गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है इस कारण भी दावा चलने काबिल ही नही है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद—पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे । श्रीमान् जी की बड़ी कृपया होगी ।

जवाब दावा के बाद पत्रावली में तनकीयात् कायम की जो इस प्रकार है।

तनकीयात्

1. आय वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1838/1195 तादादी 01 बीध्हा 18 बिश्वा भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रतिवादी संख्या [illegible] पत्थर डालकर उसका स्वरूप बदल रहा है जिसे बेदखल करने का अधिकार है।

जिम्मेवादी

2. आया उक्त वादगत कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध वादी चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मेवादी

3. आया प्रतिवादी सं. 01 द्वारा ज्वाला प्रसाद से क्रय शुदा भूमि ख्पर काबिज है तथा मात्र कयास के आधार पर दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है

जिम्मे प्रतिवादी

4. आया प्रतिवादी अपनी खरीद शुदा भूमि खसरा नम्बर 2016/1837 तादादी 01 बीघा 09 बिश्वा भूमि तथा खादी ग्रामोद्योग विद्यामन्दिर की 08 बीघा भूमि कुल 01 बीघा 13 बश्वा के अलावा अन्य भूमि पर काबिज नहीं है। अतः दावा चलने योग्य नहीं है। तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाने का वादी अधिकारी नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादी

5. अन्य अनुतोष

बाद कायम तनकीयात् पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया जिस पर उभय पक्ष की ओर से साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये जो इस प्रकार है।

मुख्य परीक्षा में पेश होने वाला शपथ पत्र

मनके सुमित्रा पत्नी नोरतमल जाति प्रजापत उम्र 38 वर्ष निवासिनी वार्ड नम्बर 21, शिव कॉलोनी, चूरू (राजस्थान) की हूँ जो कि नीचे लिखे कथन शपथपूर्वक बयान करती हूँ :–

1. यह कि मैंने विधिवत तरीके से विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत ज्वालाप्रसाद से जरिये बेनामा दिनांक 09.05.2008 को उक्त भूमि खरीद करके उसका उप–पंजीयक कार्यालय से पंजीयन करवाकर विधिवत तरीके से अपने नाम इन्तकाल करवाया है। दिनांक 16.06.2008 को उक्त इन्तकाल तस्दीक हो चुका हैं उक्त खरीद शुदा भूमि पर भूमि खरीदने की दिनांक से कब्जा मेरा ही चला आ रहा है। वादी की भूमि जिसका खसरा नम्बर 1838/1195 पर मैंने किसी प्रकार के पहाड़ी पत्थर नहीं बिछाये हैं एवं न ही किसी प्रकार का कब्जा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। महज गलतफहमीवश वादी ने उक्त दावा श्रीमान्जी के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद को जिस समय भूमि विक्रय की थी उसी समय 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर ज्वाला प्रसाद को उसके स्वयं के द्वारा कब्जा मौका पर करवा दिया था और बिना किसी व्यवधान के ज्वालाप्रसाद का कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा था उसी समय सीमाबंदी व हदबन्दी के लिये पट्टी रोपकर सीमांकन वादी द्वारा ही कायम करवा दिया था उक्त सीमांकन आज भी कायम चला आ रहा है। उक्त पट्टी के पास ही एक छोटा सा मन्दिर हनुमानजी का वादी द्वारा बनाया गया था वह भी कायम चला आ रहा है। जब मेरे द्वारा उक्त भूमि खरीद की थी और पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद द्वारा मेरा कब्जा मौके पर करवा दिया था उस वक्त वादी जगदीशप्रसाद स्वयं को बुलाया जाकर उसके सामने ही मेरे को ज्वालाप्रसाद द्वारा उक्त भूमि पर काबिज करवाया था उसी हद तक मेरा कब्जा चला आ रहा है। किसी प्रकार का व्यवधान नही है। वादी द्वारा आंशका के आधार पर बनावटी रूप से दावा पेश किया है।
2. यह कि वादी अक्सर अपनी भूमि को संभालने के लिए आता जाता है। मेरे द्वारा वादी की भूमि पर किसी प्रकार के पत्थर नहीं डलवाये है और न ही उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे द्वारा मौके पर वादी के कब्जा की भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जा रही है। मैं एक घरेलू महिला हूँ। मेरे द्वारा मौके पर जाकर कब्जा पर दखलंदांजी किया जाना अकल्पनीय है। दिनांक 12.09.2008 को या अन्य किसी तिथि को मेरे घर नहीं गया महज वाद हैतुक तथ्य दावा में अंकित करने के लिये इस प्रकार के तथ्य कल्पना के आधार पर अंकित किये गये हैं। खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि के उत्तर की तरफ रेलवे लाईन है तथा दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर [illegible] भूमि [illegible] है। जिसका ज्ञान भी भली भांति वादी को रहा है। उक्त स्थल पर खसरा नम्बर 18[illegible]/119[illegible] की भूमि रेलवे लाईन निकलने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के पश्चात [illegible] रह गई थी एवं न ही कभी उक्त स्थल पर कास्त होती है न [illegible] स्थल पर कास्त की है। इस तथ्य को वादी द्वारा छिपाया गया है। खसरा नम्बर 1838/119[illegible] में मेरे द्वारा किसी प्रकार की कास्त नहीं की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

है। मेरे द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार के पत्थर नहीं डलवाये हैं न ही किसी प्रकार का निर्माण खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किया जा रहा है। उक्त भूमि रेलवे लाईन व राष्ट्रीय राजमार्ग कायम होने के पश्चात कृषि योग्य नहीं रही है और उक्त भूमि पर काबिज होने जैसी स्थिति भी कभी नहीं रही है न ही उसका उपयोग उपभोग हो रहा है। अप्रार्थिया द्वारा खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि के खसरा नम्बर 2016/1837 तादादी 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि तथा खादी ग्रामोद्योग विद्या मंदिर की 8 बिस्वा भूमि कुल 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि के अलावा अन्य किसी भी भूमि पर मेरे द्वारा किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है न ही पत्थर आदि डलवाये गये हैं। दस्तावेजात अलग से प्रदर्शित करवाये जा रहे हैं।

शपथ—पत्र की मद संख्या—1 ता 2 मैंने मेरे निजी ज्ञान विश्वास एवं प्राप्त कानूनी राय के अनुसार सही—सही लिखवाये है। सत्य बयानी मे ईश्वर मेरी मदद करे।

मनके महेन्द्र पुत्र श्री धन्नाराम उम्र 32 वर्ष जाति प्रजापत निवासी वार्ड नम्बर 23, शिव कॉलोनी, चूरू (राजस्थान) का हूँ जो कि नीचे लिखे कथन शपथपूर्वक बयान करता हूँ :—

1. यह कि मैं वादी एवं प्रतिवादिनी सुमित्रा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। प्रतिवादिनी सुमित्रा देवी ने विधिवत तरीके से विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत ज्वालाप्रसाद से जरिये बेनामा दिनांक 09.05.2008 को उक्त भूमि खरीद करके उसका उप—पंजीयक कार्यालय से पंजीयन करवाकर विधिवत तरीके से अपने नाम इन्तकाल करवाया है। उक्त इन्तकाल तस्दीक हो चुका है। उक्त खरीद शुदा भूमि पर भूमि खरीदने की दिनांक से कब्जा प्रतिवादिनी का ही चला आ रहा है। वादी की भूमि जिसका खसरा नम्बर 1838/1195 पर प्रतिवादिनी ने किसी प्रकार के पहाड़ी पत्थर नहीं बिछाये हैं एवं न ही किसी प्रकार का कब्जा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। वादी द्वारा पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद को जिस समय भूमि विक्रय की थी उसी समय 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर ज्वाला प्रसाद को उसके स्वयं के द्वारा कब्जा मौका पर करवा दिया था और बिना किसी व्यवधान के ज्वालाप्रसाद का कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा था उसी समय सीमाबंदी व हदबन्दी के लिये पट्टी रोपकर सीमांकन वादी द्वारा ही कायम करवा दिया था उक्त सीमांकन आज भी कायम चला आ रहा है। उक्त पट्टी के पास ही एक छोटा सा मन्दिर हनुमानजी का वादी द्वारा बनाया गया था वह भी कायम चला आ रहा है। जब प्रतिवादिनी द्वारा उक्त भूमि खरीद की थी और पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद द्वारा प्रतिवादिनी का कब्जा मौके पर करवा दिया था उस वक्त वादी जगदीशप्रसाद स्वयं को बुलाया जाकर उसके सामने ही प्रतिवादिनी को ज्वालाप्रसाद द्वारा उक्त भूमि पर काबिज करवाया था उस वक्त मैं भी उपस्थित था।
2. यह कि खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि के उत्तर की तरफ रेलवे लाईन है तथा दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर की भूमि में निहित हो गई है। जिसका ज्ञान भी भली भांति वादी को रहा है। उक्त स्थल पर खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि रेलवे लाईन निकलने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के पश्चात किसी प्रकार से कास्त योग्य नहीं रह गई थी एवं न ही कभी उक्त स्थल पर कास्त होती है न ही किसी भी व्यक्ति ने उक्त स्थल पर कास्त की है। इस तथ्य को वादी द्वारा छिपाया गया है। खसरा नम्बर 1838/1195 में सुमित्रा देवी द्वारा किसी प्रकार की कास्त नहीं की गई है। सुमित्रा देवी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार के पत्थर नहीं डलवाये हैं न ही किसी प्रकार का निर्माण खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किया जा रहा है। उक्त भूमि रेलवे लाईन व राष्ट्रीय राजमार्ग कायम होने के पश्चात कृषि योग्य नहीं रही है और उक्त भूमि पर काबिज होने जैसी स्थिति भी कभी नहीं रही है न ही उसका उपयोग उपभोग हो रहा है। सुमित्रा देवी द्वारा खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया जा रहा है।

शपथ—पत्र की मद संख्या—1 ता 2 मैंने मेरे निजी ज्ञान विश्वास एवं प्राप्त कानूनी राय के अनुसार सही—सही लिखवाये है। सत्य बयानी मे ईश्वर मेरी मदद करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

मनके मजीद खां पुत्र श्री फैजू खां जाति कायमखानी उम्र 40 वर्ष निवासी अगुणा मोहल्ला चूरू (राजस्थान) का हूँ जो कि नीचे लिखे कथन शपथपूर्वक बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं वादी एवं प्रतिवादिनी सुमित्रा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। प्रतिवादिनी सुमित्रा देवी ने विधिवत तरीके से विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत ज्वालाप्रसाद से जरिये बेनामा दिनांक 09.05.2008 को उक्त भूमि खरीद करके उसका उप–पंजीयक कार्यालय से पंजीयन करवाकर विधिवत तरीके से अपने नाम इन्तकाल करवाया है। उक्त इन्तकाल तस्दीक हो चुका है। उक्त खरीद शुदा भूमि पर भूमि खरीदने की दिनांक से कब्जा प्रतिवादिनी का ही चला आ रहा है। वादी की भूमि जिसका खसरा नम्बर 1838/1195 पर प्रतिवादिनी ने किसी प्रकार के पहाड़ी पत्थर नहीं बिछाये हैं एवं न ही किसी प्रकार का कब्जा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। वादी द्वारा पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद को जिस समय भूमि विक्रय की थी उसी समय 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर ज्वाला प्रसाद को उसके स्वयं के द्वारा कब्जा मौका पर करवा दिया था और बिना किसी व्यवधान के ज्वालाप्रसाद का कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा था उसी समय सीमाबंदी व हदबन्दी के लिये पट्टी रोपकर सीमांकन वादी द्वारा ही कायम करवा दिया था उक्त सीमांकन आज भी कायम चला आ रहा है। उक्त पट्टी के पास ही एक छोटा सा मन्दिर हनुमानजी का वादी द्वारा बनाया गया था वह भी कायम चला आ रहा है। जब प्रतिवादिनी द्वारा उक्त भूमि खरीद की थी और पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद द्वारा प्रतिवादिनी का कब्जा मौके पर करवा दिया था उस वक्त वादी जगदीशप्रसाद स्वयं को बुलाया जाकर उसके सामने ही प्रतिवादिनी को ज्वालाप्रसाद द्वारा उक्त भूमि पर काबिज करवाया था उस वक्त मैं भी उपस्थित था।
2. यह कि खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि के उत्तर की तरफ रेलवे लाईन है तथा दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर की भूमि में निहित हो गई है। जिसका ज्ञान भी भली भांति वादी को रहा है। उक्त स्थल पर खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि रेलवे लाईन निकलने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के पश्चात किसी प्रकार से कास्त योग्य नहीं रह गई थी एवं न ही कभी उक्त स्थल पर कास्त होती है न ही किसी भी व्यक्ति ने उक्त स्थल पर कास्त की है। इस तथ्य को वादी द्वारा छिपाया गया है। खसरा नम्बर 1838/1195 में सुमित्रा देवी द्वारा किसी प्रकार की कास्त नहीं की गई है। सुमित्रा देवी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार के पत्थर नहीं डलवाये हैं न ही किसी प्रकार का निर्माण खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किया जा रहा है। उक्त भूमि रेलवे लाईन व राष्ट्रीय राजमार्ग कायम होने के पश्चात कृषि योग्य नहीं रही है और उक्त भूमि पर काबिज होने जैसी स्थिति भी कभी नहीं रही है न ही उसका उपयोग उपभोग हो रहा है। सुमित्रा देवी द्वारा खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया जा रहा है।

शपथ–पत्र की मद संख्या–1 ता 2 मैंने मेरे निजी ज्ञान विश्वास एवं प्राप्त कानूनी राय के अनुसार सही–सही लिखवाये है। सत्य बयानी मे ईश्वर मेरी मदद करे।

मनके मैनू खां पुत्र श्री नवाब खां उम्र 25 वर्ष निवासी अगुणा मोहल्ला चूरू (राजस्थान) का हूँ जो कि नीचे लिखे कथन शपथपूर्वक बयान करता हूँ :–

1. यह कि मैं वादी एवं प्रतिवादिनी सुमित्रा को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। प्रतिवादिनी सुमित्रा देवी ने विधिवत तरीके से विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत ज्वालाप्रसाद से जरिये बेनामा दिनांक 09.05.2008 को उक्त भूमि खरीद करके उसका उप–पंजीयक कार्यालय से पंजीयन करवाकर विधिवत तरीके से अपने नाम इन्तकाल करवाया है। उक्त इन्तकाल तस्दीक हो चुका है। उक्त खरीद शुदा भूमि पर भूमि खरीदने की दिनांक से कब्जा प्रतिवादिनी का ही चला आ रहा है। वादी की भूमि जिसका खसरा नम्बर 1838/1195 पर प्रतिवादिनी ने किसी प्रकार के पहाड़ी पत्थर नहीं बिछाये हैं एवं न ही किसी प्रकार का कब्जा कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। वादी द्वारा पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद को जिस समय भूमि विक्रय की थी उसी समय 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर ज्वाला प्रसाद को उसके स्वयं के द्वारा कब्जा मौका पर करवा दिया था और बिना किसी व्यवधान के ज्वालाप्रसाद का कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा था उसी समय सीमाबंदी व हदबन्दी के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

पट्टी रोपकर सीमांकन वादी द्वारा ही कायम करवा दिया था उक्त सीमांकन आज भी कायम चला आ रहा है। उक्त पट्टी के पास ही एक छोटा सा मन्दिर हनुमानजी का वादी द्वारा बनाया गया था वह भी कायम चला आ रहा है। जब प्रतिवादिनी द्वारा उक्त भूमि खरीद की थी और पूर्व मालिक ज्वालाप्रसाद द्वारा प्रतिवादिनी का कब्जा मौके पर करवा दिया था उस वक्त वादी जगदीशप्रसाद स्वयं को बुलाया जाकर उसके सामने ही प्रतिवादिनी को ज्वालाप्रसाद द्वारा उक्त भूमि पर काबिज करवाया था उस वक्त मैं भी उपस्थित था।

2. यह कि खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि के उतर की तरफ रेलवे लाईन है तथा दक्षिण की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर की भूमि में निहित हो गई है। जिसका ज्ञान भी भली भांति वादी को रहा है। उक्त स्थल पर खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि रेलवे लाईन निकलने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के पश्चात किसी प्रकार से कास्त योग्य नहीं रह गई थी एवं न ही कभी उक्त स्थल पर कास्त होती है न ही किसी भी व्यक्ति ने उक्त स्थल पर कास्त की है। इस तथ्य को वादी द्वारा छिपाया गया है। खसरा नम्बर 1838/1195 में सुमित्रा देवी द्वारा किसी प्रकार की कास्त नहीं की गई है। सुमित्रा देवी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार के पत्थर नहीं डलवाये हैं न ही किसी प्रकार का निर्माण खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किया जा रहा है। उक्त भूमि रेलवे लाईन व राष्ट्रीय राजमार्ग कायम होने के पश्चात कृषि योग्य नहीं रही है और उक्त भूमि पर काबिज होने जैसी स्थिति भी कभी नहीं रही है न ही उसका उपयोग उपभोग हो रहा है। सुमित्रा देवी द्वारा खसरा नम्बर 1838/1195 की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया जा रहा है।

शपथ–पत्र की मद संख्या–1 ता 2 मैंने मेरे निजी ज्ञान विश्वास एवं प्राप्त कानूनी राय के अनुसार सही–सही लिखवाये है। सत्य बयानी मे ईश्वर मेरी मदद करे।

बाद साक्ष्य पत्रावली को बहस में नियत किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्ष को बहस हेतु काफी अवसर दिये गये परन्तु बहस नहीं की गई इसलिए पत्रावली को मेरीट के आधार पर निर्णित किया गया।

तनकीयातः–1

"आय वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1838/1195 तादादी 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 जबरन पत्थर डालकर उसका स्वरूप बदल रहा है, जिससे बेदखल करने का अधिकार है।"

इस तनकीयात् के संबंध में वादी पर यह भार था कि वह यह सिद्ध करे कि वादगत भूमि उसकी खातेदारी भूमि है, तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से पत्थर डालकर कब्जा/अतिक्रमण किया जा रहा है।

अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य तो आंशिक रूप से स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 1838/1195 वादी के नाम दर्ज रहा है, किन्तु केवल खातेदारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अतिक्रमण/दखलंदाजी का वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

किसी सक्षम राजस्व अधिकारी से सीमांकन रिपोर्ट, पटवारी या अन्य राजस्व अभिलेख, या कोई स्वतंत्र एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रतिवादी संख्या 01 ने वास्तव में वादगत भूमि पर पत्थर डालकर उसका स्वरूप परिवर्तित किया है या कब्जा करने का प्रयास किया है। इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं साक्षियों के बयानों से यह प्रतिपादित होता है कि वह केवल अपनी क्रयशुदा भूमि पर ही काबिज है, वादगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या पत्थर डालना सिद्ध नहीं है। अतः वादी द्वारा लगाया गया आक्षेप संदेह एवं अनुमान पर आधारित प्रतीत होता है, जो विधि की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है।

अतः तनकी संख्या 01 वादी के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकीयात् सं. 2:

"आया उक्त वादगत कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 01 के विरुद्ध वादी चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का अधिकारी है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकीयात् के संदर्भ में वादी पर यह दायित्व था कि वह यह सिद्ध करे कि वादगत भूमि पर उसका वैध कब्जा / खातेदारी अधिकार है, तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उसके उक्त अधिकारों में वास्तविक हस्तक्षेप किया जा रहा है या निकट भविष्य में ऐसे हस्तक्षेप की ठोस आशंका है।

न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्यों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अतिक्रमण / दखलंदाजी का कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सीमांकन रिपोर्ट अथवा किसी सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रतिवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं है, जिससे वास्तविक स्थिति का निर्धारण किया जा सके। प्रतिवादी पक्ष के साक्षियों ने एकरूपता से यह कहा है कि प्रतिवादी केवल अपनी क्रयशुदा भूमि पर ही काबिज है तथा वादगत भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की गई है।

विधि का स्थापित सिद्धांत है कि चिरस्थाई निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) तभी प्रदान की जा सकती है जब वादी अपने अधिकारों पर वास्तविक एवं सिद्ध खतरा या अतिक्रमण प्रदर्शित करे। मात्र आशंका, अनुमान या शंका के आधार पर निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती।

चूँकि वादी प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की वास्तविक दखलंदाजी या अतिक्रमण सिद्ध करने में असफल रहा है, अतः वह चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं ठहरता।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी इस तनकीयात् को सिद्ध करने में असफल रहा है।

तनकीयात् सं. 2 वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में निर्णयित की जाती है।

तनकीयात् सं. 3:

आया प्रतिवादी सं. 01 द्वारा ज्वाला प्रसाद से क्रय शुदा भूमि पर काबिज है तथा मात्र कयास के आधार पर दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है।

इस तनकीयात् के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 पर यह भार था कि वह यह सिद्ध करे कि उसने ज्वाला प्रसाद से विधिवत रूप से भूमि क्रय की है एवं उसी भूमि पर काबिज है, तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दावा केवल कयास / आशंका पर आधारित है।

अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने ज्वाला प्रसाद से विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2008 के माध्यम से भूमि क्रय की है। उक्त भूमि का नामांतरण (इन्तकाल) भी विधिसम्मत रूप से प्रतिवादी के नाम दर्ज एवं तस्दीक किया जा चुका है।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं साक्षियों के कथनों से यह भी सिद्ध होता है कि वह केवल अपनी क्रयशुदा भूमि पर ही काबिज है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अतिक्रमण अथवा दखलंदाजी का कोई ठोस, स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीमांकन या अन्य राजस्व अभिलेखों के अभाव में वादी का दावा मात्र अनुमान एवं आशंका पर आधारित प्रतीत होता है।

अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी का दावा ठोस आधार के अभाव में संदेहास्पद एवं कयास पर आधारित है।

प्रतिवादी संख्या 01 इस तनकीयात् को सिद्ध करने में सफल रहा है।

तनकीयात् सं. 3 प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में एवं वादी के विरुद्ध निर्णयित की जाती है।

तनकीयात् सं. 4:

आया प्रतिवादी अपनी खरीद शुदा भूमि खसरा नम्बर 2016 / 1837 तादादी 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि तथा खादी ग्रामोद्योग विद्यामन्दिर की 08 बिस्वा भूमि, कुल 01 बीघा 17 बिस्वा के अलावा अन्य भूमि पर काबिज नहीं है। अतः दावा चलने योग्य नहीं है तथा चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाने का वादी अधिकारी नहीं है।

इस तनकीयात् के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 पर यह भार था कि वह यह सिद्ध करे कि वह केवल अपनी क्रयशुदा भूमि पर ही काबिज है, तथा वादगत [illegible] नम्बर 1838 / 1195 की भूमि पर उसका कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, [illegible] के परीक्षण से यह तथ्य स्थापित होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने ज्वाला [illegible] विक्रय पत्र द्वारा खसरा नम्बर 2016 / 1837

तादादी 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि क्रय की है तथा उक्त का नामांतरण विधिसम्मत रूप से उसके नाम दर्ज है। खादी ग्रामोद्योग विद्यामन्दिर की 08 बिस्वा भूमि अलग से विद्यमान है, जिससे कुल 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि का पृथक्करण स्पष्ट होता है। प्रतिवादी के साक्षियों (महेन्द्र, मजीद खां, मैनू खां) ने एकरूपता से यह कथन किया है कि प्रतिवादी केवल अपनी क्रयशुदा भूमि पर ही काबिज है तथा वादगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसके विपरीत वादी द्वारा कोई ऐसा ठोस, स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रतिवादी उक्त सीमाओं से बाहर किसी अन्य भूमि, विशेषकर वादगत खसरा नम्बर 1838/1195 पर काबिज है।

सीमांकन रिपोर्ट या राजस्व अभिलेखों के अभाव में वादी का कथन प्रमाणित नहीं हो सका। अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपनी क्रयशुदा भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर काबिज होना सिद्ध नहीं होता।

प्रतिवादी संख्या 01 इस तनकीयात् को सिद्ध करने में सफल रहा है। फलस्वरूप, वादी द्वारा दावा एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार सिद्ध नहीं होता।

तनकीयात् सं. 4 प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में एवं वादी के विरुद्ध निर्णयित की जाती है।

निर्णय

वाद पत्र, जवाब दावा, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्य एवं पक्षकारों की दलीलों का सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात तथा तनकीयात् सं. 1 से 4 पर दिए गए निष्कर्षों के आधार पर यह न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादगत भूमि खसरा नं. 1838/1195 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण, पत्थर डालना अथवा स्वरूप परिवर्तन किया गया है। वादी द्वारा अतिक्रमण संबंधी आरोप मात्र आशंका एवं कयास पर आधारित पाए गए हैं, जिनका कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 यह सिद्ध करने में सफल रही है कि वह केवल अपनी विधिवत क्रयशुदा भूमि (खसरा नं. 2016/1837) पर ही काबिज है तथा वादगत भूमि पर उसका कोई कब्जा या दखलंदाजी नहीं है। वादी चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्वों (वास्तविक हस्तक्षेप/खतरा) को सिद्ध करने में असफल रहा है। दावा वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

यह प्रारम्भिक निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.04..2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक : 18.09.2008

वाद पत्र सं. : 2008/101

1. जगदीश प्रसाद दतक पुत्र स्व. आशाराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 27, चूरू तहसील व जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी नोरतमल जाति प्रजापत निवासिनी वार्ड नं. 21, शि कॉलोनी, चूरू तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार, चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
श्री विजयसिंह, आनन्द बालाण वादी
श्री नरेन्द्र सिहाग प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188,209
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी बाबत चिरस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 06.04.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:47 IST
Reason: SelfAttested